न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1089 सन 2024

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. हीरा पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14/01/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा सूरजनसर के खाता संख्या 23 के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि जो घडसीराम पुत्र उदाराम जाति जाट के कब्जा काश्त की भूमि थी जो सम्वत 2011 से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सुरजनसर के खाता संख्या 23 के साबिका खसरा न0 67 की 20.10 बीधा भूमि को गत पैमाईश में भु0प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 523/143 की 20.15 बीध भूमि में परिर्वतन एवं पैमुद कर दी गई थी जो मिलास क्षेत्रफल के अनुसार सही है।

रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खाता संख्या 23 के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि जो पैमाईश के दोरान हाल खसरा न0 523/143 की 5.2520हैक्‍ मे परिर्वतन पैमुद हुई है सम्वत 2011 से लगतार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 हाल खसरा न0 523/143 की 5.2520हैक्‍ भूमि वादी के पूर्वज घडसीराम पुत्र उदाराम के द्वारा नोतोड करदा सम्वत 2011 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि थी घडसीराम पुत्र उदाराम का देहान्त होने पर विरास्तन से घडसीराम के पुत्र एव वादी के पिता श्योचन्द पुत्र घडसीराम के कब्जा काश्त में रही थी तथा वादी के पिता श्योचन्द पुत्र घडसीराम के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है अर्थात वाद भूमि सम्वत 2011 के पूर्व से पूर्व में वादी के पूर्वजों के कब्जा काश्त में रही एव वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

राजस्थन काश्तकार अधिनियम सन 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसकी धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार सम्वत 2012 या उससे पूर्व जमाबन्दी/गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज है उन्हे उक्त प्रावधान के तावे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था के प्रावधानों के अनुसार वादी के पूर्वज घडसीराम पुत्र उदाराम खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु उन्हे उक्त प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज नही किया गया वादी के पूर्वजो के देहान्त होने के बाद वादी अब भी वाद भूमि को उक्त प्रावधानो के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का [illegible] है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] की वादी को वाद भूमि का खातेदार काश्तकार उक्त प्रावधानो के अनुसार [illegible] जावे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 325/329 के खसरा न0 523/143 की कुल 5.2520हैक्‍ भूमि का वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 एव हाल खसरा न0 523/143 की कुल 5.2520हैक्‍ भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक्‍ एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30..00 बीधा भूमि घडसीराम वल्द उदाराम जाति जाट साकिन सुरजनसर के द्वारा नोतोड करदा कब्जा काश्त भूमि थी जो वादी के पूर्वज है वाद भूमि रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज घडसीराम पुत्र उदाराम के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के नोतोड करदा भूमि उनके कब्जा काश्त में रही वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र एवं वादी के पिता श्योचन्द पुत्र घडसीराम के कब्जा काश्त में रही एव वादी के पिता श्योचन्द पुत्र घडसीराम के देहान्त होने पर वादी के उक्त भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि जो घडसीराम वल्द उदारामं के कब्जा काश्त में चली आ रही थी घडसीराम वल्द उदाराम के द्वारा रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा नोतोड की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी घडसीराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र श्योचन्दं के कब्जा काश्त में रही श्योचन्द के देहानत होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं वर्तमान में घडसीराम एव श्योचन्द के वारिसान की हैसियत से वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि का हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 523/143 की 20.15 बीधा में पैमुद किया गया था तथा हैक्टयर में परिर्वतन करने पर रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 325/329 के खसरा न0 523/143 की 5.2520हैक्‍ में पैमुद परिर्वतन किया गया है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के द्वारा नोतोड करदा सम्वत 2012 से पूर्व की भूमि थी जो पूर्व में घडसीराम वल्द उदाराम के कब्जा काश्त में रही थी घडसीराम देहान्त होने पर वादी के पिता श्योचन्द के कब्जा काश्त में रही श्योचन्द के देहान्त होने पर वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि वादी को अपने पिता व दादा से विरास्तन से प्रप्त हुई घडसीराम वल्द उदाराम की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज [illegible] है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की [illegible] भूमि है जिसे वादी के पूर्वज बिडदसिह ने निकाली थी तब से लेकर [illegible] श्योचन्द एव वर्तमान में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जा काश्त मे चली आ [illegible] है।

वाद भूमि वादी के पूर्वजों घडसीराम के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि सम्बत 2012 या उससे पूर्व की जमाबन्दीया/गिरदावरीयो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

में जो काश्तकार दर्ज एव भूमि काश्त की जा रही है उन्हे उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर उक्त अधिनियम के ताबे वादी के पूर्वजखातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये।

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 523/143 की 5. 2520हैक्‍ भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है टिनेन्सी एक्ट एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर की जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 के खाता संख्या 23 के साबिका खसरा न0 67 की 30 बीधा भूमि वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम जाति जाट साकिन सुरजनसर के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 ,2016, 2024 एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों /गिरदावारीयो से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की 30.00 बीधा के हाल खसरा न0 523/143 की 20.15 बीधा में पैमुद की गई थी जो सर्वे खसरा से पूर्णत्या साबित है तथा बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 523/143 की 5.2520हैक्‍ में परिर्वतन पैमुद किया जाकर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम जाति जाट का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसका पुत्र श्योचन्द पुत्र घडसीरमा था वह भी देहान्त हो चुका है श्योचन्द पुत्र घडसीराम के जायज वारिसान उसका पुत्र एव पत्नी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 की कुल 30.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के कब्जा काश्त में रही तथा घडसीराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र श्योचन्द पुत्र घडसीराम के कब्जा काश्त में रही एव श्योचन्द के देहान्त होने पर व उसके पुत्र वादी व पत्नी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों /मोका रिपोर्ट से पूर्णत्याा साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

थी अर्थात सम्वत 2011 से 2014 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयों से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के कब्जा काश्त की सम्वत 2011 से पूर्व की खसरा न0 67 की 30.00 बीधा भूमि घडसीराम वल्द उदाराम के द्वारा नोतोड की गई भूमि है जो पूर्व मे वादी के पूर्वजों एव वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 के लगातार कब्जा काश्त में है जो जमाबन्दीयों /गिरदावारियो सें प्रमाणित भी है व वर्तमान रिकार्ड में घडसीराम के सभी वारिसान के नाम बतोर गैरखातेदार दर्ज है

वादी का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे पेरोकार राज ने उक्त कथन है विरोध करते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान में रोही मौजा सुरजनसर उपनिवेशन क्षेत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 67 हाल खसरा न0 523/143 की 5.2520हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2011 से 2014 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम के वाद भूमि सम्वत 2011 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात वादी के पूर्वज के घडसीराम वल्द उदाराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादी के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादी के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादी ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी के पूर्वज घडसीराम वल्द उदाराम जाति जाट साकिन सुरजनसर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है घडसीराम वल्द उदाराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र श्योचन्द पुत्र घडसीराम के कब्जा काश्त में रही थी एव श्योचन्द के देहान्त होन पर वर्तमान मे वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व से वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजा के कब्जा काश्त मे एव वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही हे जो प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों व तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से प्रमाणित होता है सम्वत 2012 से पूर्व से वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने एव कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के प्रावधानों एवं समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रो/अधिसुचनाओं के परिपक्षेय में वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादी राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 325/329 के खसरा न0 523/143 की कुल 5.2500हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. हीरा पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1089 सन 2024 निर्णय दिनांक – 14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 325/329 के खसरा न0 523/143 की कुल 5.2500हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested